**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)**

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I (RAS)**

राजस्व वाद–पत्र संख्या :– **80/2024** **GCMS 2024/150**

**वादी :–**

1. फतेह सिंह पुत्र जसवंत सिंह दत्तक पुत्र स्व. श्री अमर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

**वादीगण :–**

1. शंकर सिंह पुत्र श्री पेहप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पलाड़ा
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कुचामन सिटी(लेण्ड हॉल्डर)

**दावा अधिकारों की घोषणा की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी वादी की ओर से
श्री प्रभुराम गुर्जर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से

**–:निर्णय :–**

दिनांक :– 19/02/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम सीतापुर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1195/708 रकबा 1.72 हैक्टयर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 1.73 हैक्टयर में 1/3 हिस्सा की सहखातेदारी वादी के गोद पिता अमर सिंह पुत्र धूंकल सिंह की खातेदारी के आये हुए है। सुविधा के लिए इसे आगे इसे वाद पत्र में वादग्रस्त अराजीयात के नाम से संबोधित किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में 1/3 हिस्से की भूमि अमर सिंह जी के कब्जे काश्त व खातेदार की भूमि है। वादी के गोद पिता अमर सिंह जी का सजरा खानदान निम्नवत् है :–

अमर सिंह

बदन कंवर(पत्नी)(फौत) — फतेह सिंह (दत्तक पुत्र) (वादी)

अमर सिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 02.08.[illegible] को हो चुका है एवं अमर सिंह जी धर्मपत्नी बदन कंवर का भी स्वर्गवास [illegible] मृत्यु होने के उपरांत वादी ने हल्का पटवारी से वादग्रस्त अराजीयात वादी के [illegible] दर्ज करने का निवेदन किया परंतु हल्का पटवारी ने वादी के नाम वादग्रस्त अराजीयात का नामान्तरकरण करने से इंकार कर दिया। वादग्रस्त अराजीयात में वादी का हक–हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:40:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

अनुसार जन्म से है। वादी अपने हक–हिस्से की भूमि की घोषणा करवाने का पूर्ण अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 01 वादी को उसके हक–हिस्से से वंचित करने की नीयत से वादग्रस्त अराजीयात को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। प्रतिवादी संख्या 01 वादी को वादग्रस्त अराजीयात में उसके हक–हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। यदि प्रतिवादीगण ऐस करने में सफल हो गये तो वादी अपने हक–हिस्से की खातेदारी अधिकारों की भूमि के उपयोग–उपभोग करने से सदा–सदा के लिए वंचित हो जायेगा। ऐसी परिस्थिति में वादग्रस्त अराजीयात को खुर्द–बुर्द करने की नीयत से प्रतिवादी संख्या 01 वादी के अधिकारों को इंकार कर रहा है। इस कारण वादी को वाद लाना आवश्यक हो गया है। यदि प्रतिवादीगण वादग्रस्त अराजीयात में स्थित वादी के हक अधिकारों की भूमि से वादी को बेदखल कर देगें तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना असंभव होगा। वादग्रस्त आराजीयात में वादी का अधिकार जन्म से ही इसलिए प्रथम दृष्या मामला वादी का प्रमाणित है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि तहसील कुचामन सिटी के ग्राम सीतापुर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1195/708 रकबा 1.72 हैक्टयर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 1.73 हैक्टयर में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एव तमाम रेकर्डस् ऑफ राईट्स से अमर सिंह पुत्र धूंकल सिंह का नाम हटाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 का सम्मन तामिल होकर प्राप्त। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 01 ने इकबालिया जवाब दावा प्रस्ततु कर वादी के वादी वाद को डिक्री किये जाने में अनापत्ति जाहिर की है।

वकील वादी ने मौखिक साक्ष्य के लिए वादी फतेह सिंह का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य के लिए प्रदर्श पी 1 जमांबदी नकल सम्वत् 2073 से 2075, प्रदर्श पी 2 ग्राम पंचायत पलाड़ा द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति, प्रदर्श पी 3 न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी के प्रकरंण संख्या 01/2022 उनवान फतेह [illegible] के निर्णय दिनांक 05.04.2024 की प्रमाणित प्रति पेश किए गए। [illegible] की बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी व प्रतिवादी ने वाद व इकबालिया [illegible] दावा में अंकित तथ्यों को ही दोहराया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:40:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (डीडवाना-कुचामन) कुचामन सिटी
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रदर्श पी 1 में वादी के पिता अमर सिंह की खातेदारी 1/3 दर्ज है। प्रदर्श पी 2 ग्राम पंचायत पलाड़ा द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति व प्रदर्श पी 3 न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी के प्रकरण संख्या 01/2022 उनवान फतेह सिंह बनाम पटवारी हल्का पालाड़ा के निर्णय दिनांक 05.04.2024 की प्रमाणित प्रति के अनुसार वादी 1/3 खातेदारी का हकदार है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार भी वादी के वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि की खातेदारी दर्ज होनी है। उपरोक्त तथ्यों से वादी का वाद साबित होने से स्वीकार किया जाता है।

## –:आदेश :–

ग्राम सीतापुर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1195/708 रकबा 1.72 हैक्टयर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 1.73 हैक्टयर में खातेदार अमर सिंह पुत्र धूंकल सिंह का नाम हटाया जाकर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामन सिटी आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार ,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:40:41 IST
Reason: SelfAttested